न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 25/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/183)

1. कौशल किशोर शर्मा पुत्र श्री शिवराम जाति ब्राहमण निवासी–रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर हाल निवासी 22–ए, मनु मार्ग, अलवर, जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कुसुम शर्मा पुत्री शिवराम जाति ब्राहमण निवासी रानोठ, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर हाल पत्नि श्री नरेश कुमार शर्मा, निवासी एस–2, तारा सिंह अपार्टमेंट, मनु मार्ग, हाउसिंग बोर्ड, अलवर, जिला अलवर (राज.)

– रेस्पोडेन्ट

2. ग्राम पंचायत, रानोठ, जरिये सरपंच, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर निर्णय दिनांक 06.09.2021 अपील संख्या 2/2021 उनवानी श्रीमती कुसुम शर्मा बनाम ग्राम पंचायत रानोठ वगैरहा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री नरेश शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 30.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 06.09.2021 के खिलाफ प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 28.12.2021 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्राम पंचायत रानोठ तहसील मुण्डावर बाबत इंतकाल संख्या 242 वाके ग्राम रानोठ के आदेश दिनांक 26.06.1986 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 06.09.2021 द्वारा अपील स्वीकार कर पूर्व में निर्णित इन्तकाल संख्या 242 निर्णय दिनांक 26.06.1986 वाके ग्राम रानोठ, ग्राम पंचायत रानोठ निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट तहसीलदार मुण्डावर को रिमाण्ड कर आदेशित किया गया कि वे मृतक शिवराम के जायज वारिसान की विधिवत सुनवाई कर विरासत के बाबत का इन्तकाल निर्णित करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 06.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट कौशल किशोर शर्मा पुत्र शिवराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 06.09.2021 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मिन अपीलांट के पिता शिवराम की विरासत का इंतकाल ग्राम पंचायत रानोठ के समक्ष प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत रानोठ ने इंतकाल संख्या 242 दिनांक 26.06.1986 को मिन अपीलांट के पक्ष में दर्ज व तस्दीक किया गया। जिस इंतकाल की जानकारी रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 को इंतकाल के समय से ही पूर्ण रूप से थी लेकिन अब बदनियति स्वरूप 35 साल के बाद विचारण न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय के समक्ष असल रेस्पोन्डेन्ट पक्षकार नहीं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

थी ऐसी स्थिति में अपील करने से पूर्व तहत न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की इजाजत लिया जाना आवश्यक था। लेकिन रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 द्वारा तहत न्यायालय में धारा 96 सीपीसी का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और विद्वान तहत न्यायालय द्वारा बिना इजाजत अपील प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय पारित किया है। विद्वान तहत न्यायालय द्वारा अपील 15.02.2021 को दर्ज रजिस्टर करने के बाद उसी दिन रजिस्टर्ड ए.डी. के आदेश दिये गये जबकि कानूनन रेस्पोन्डेन्ट की तलबी हेतु साधारण नोटिस के आदेश दिये जाने चाहिए थे और साधारण नोटिस पर रेस्पोन्डेन्ट की तलबी नहीं होने की सूरत में रजिस्टर्ड ए.डी. के आदेश दिये जाने चाहिए थे, लेकिन तहत न्यायालय ने यह अहम कानूनी गलती की है। तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.04.2021 से स्पष्ट है कि अपीलांट के द्वारा डाकखाने की रसीद प्रस्तुत की गई और उस दिन पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 10.05.2021 नियत की गई। दिनांक 10.05.2021 को अभिभाषक संघ द्वारा कार्य स्थगित किया हुआ था और दिनांक 12.07.2021 नियत की गई। दिनांक 12.07.2021 की कोई आदेशिका पत्रावली पर नहीं है और सीधे ही दिनांक 06.09.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। जिससे बखूबी साबित है कि पत्रावली में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही नहीं करते हुए असल रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने की नियत से जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। मिन अपीलांट की कोई विधिवत तामील नहीं हुई है और ना ही न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. मिन अपीलांट को भेजे गये।

विद्वान तहत् न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय के पैरा नं. 1 में दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है और तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद की बहस सुनी गई है और उसे स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में दफा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। यानि 2 बार निर्णय में दफा 5 के प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई और दोनों बार स्वीकार किया गया। जबकि अपील 35 साल बिलम्ब से प्रस्तुत की गई उसके संदर्भ में कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार करने का क्या कारण रहा। इससे भी आगे तहत न्यायालय ने अपील की मेरिट पर भी कोई विवेचन नहीं किया और सीधा ही अपील अपीलांट रिमाण्ड के निर्देश के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया है। इससे स्पष्ट है कि विद्वान तहत न्यायालय ने मेरिट व दफा 5 के प्रार्थना पत्र का कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया। मिन अपीलांट को अपने पिता की विरासत के इंतकाल संख्या 242 दिनांक 26.06.1986 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और मिन अपीलांट 35 साल से लगातार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है और आज भी मौके पर मिन अपीलांट का कब्जा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 गैर काबिज, गैर–वास्ता शख्स है। मिन अपीलाट का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में इंतकाल के माध्यम से मिन अपीलांट की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है और यदि रेस्पोडेन्ट के कोई अधिकार बनते हैं तो उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिए था। तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा क्या बहस की गई। केवल मात्र सीधे ही अपील व दफा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश दिया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने यह कथन किया है कि उसे इंतकाल सं. 242 दिनांक 26.06.1986 की जानकारी दिनांक 9.2.2021 को जब वास्ते किसान क्रेडिट कार्ड हेतु हल्का पटवारी से मिली तो प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होने की जानकारी हुई। जबकि इस तथ्य का कोई साक्ष्य तहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पेश नहीं किया गया और ना ही पटवारी हल्का के बयान करवाये गये और 35 साल के विलम्ब को निरस्त करने में तहत न्यायालय ने अहम कानूनी गलती की है।

चूंकि तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.09.2021 की जानकारी मिन अपीलांट को नहीं थी क्योंकि मिन अपीलांट की कोई विधिवत् तामील नहीं कराई गई। जिस पर मिन अपीलाट दिनाक 15.12.2021 को तहसील मुण्डावर गया और उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि मिन अपीलांट के बालाबाला एकतरफा में दिनांक 06.09.2021 को इंतकाल संख्या 242 निरस्त करा दिया गया है जिस पर मिन अपीलांट ने दिनांक 15.12.2021 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 15.12.2021 को ही मिन अपीलांट ने नकल प्राप्त कर वकील साहब से सलाह मशवरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

किया तो उन्होंने अपील पेश करने की सलाह दी। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर का निर्णय दिनांक 06.09.2021 निरस्त फरमाया जावे और इन्तकाल संख्या 242 दिनांक 26.06.1986 वाके ग्राम रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर बदस्तूर बहाल रखा जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.12.2021 से होना अंकित किया गया है, अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील लगभग 35 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर के निर्णय में मियाद के बिन्दु पर भी कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी उपलब्ध नहीं है, जबकि मियाद के बिन्दु को निष्कर्ष अंकित करते हुये तय किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। आदेशिका दिनांक 06.09.2021 में धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में लिखावट भी पश्चातवर्ती प्रतीत होती है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कानूनन आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, जिला अलवर का अपीलाधीन दिनांक 06.09.2021 निरस्त किया जाता है एवं इन्तकाल संख्या 242 दिनांक 26.06.1986 ग्राम पंचायत रानोठ, तहसील मुण्डावर जिला अलवर बहाल रखा जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दफा 5 मियाद अधिनियम तथा धारा 96 सी.पी.सी. के सम्बन्ध में विवेचनात्मक/निष्कर्षात्मक निर्णय करते हुये प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर, जिला अलवर का अपीलाधीन दिनांक 06.09.2021 निरस्त किया जाता है एवं इन्तकाल संख्या 242 दिनांक 26.06.1986 ग्राम पंचायत रानोठ, तहसील मुण्डावर जिला अलवर बहाल रखा जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर दफा 5 मियाद अधिनियम तथा धारा 96 सी.पी.सी. के सम्बन्ध में विवेचनात्मक/निष्कर्षात्मक निर्णय करते हुये प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर